कार्यालय आयुक्त भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
इन्द्रावती भवन, प्रथम तल ब्लॉक नं.–02

आदेश

नया रायपुर, दिनांक 23/5/2016

क्रमांक/ 284 /आ.भू.अ./स्था.–2/2016 कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 907/आभूअ/स्था–5/2014 दिनांक 22.02.2014 एवं संशोधित ज्ञापन क्रमांक 7245 दिनांक 11.09.2014 के अनुसार आयुक्त भू अभिलेख कार्यालय रायपुर एवं अधीनस्थ कार्यालय क्षेत्रीय उप आयुक्त भू अभिलेख रायपुर/बिलासपुर एवं प्राचार्य राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला बिलासपुर में भृत्य एवं चैनमेन के के रिक्त 21 पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के परिपेक्ष्य में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को भृत्य/चैनमेन के पद पर वेतनमान 4750–7440+1300 ग्रेड वेतन तथा समय–समय पर शासन द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों पर निम्न शर्तों के अधीन आगामी आदेश पर्यन्त अस्थाई रूप से नियुक्त कर उनके नाम के समक्ष दर्शित कार्यालय में पदस्थ किया जाता है:–

क्र.	अभ्यर्थियों का नाम	पिता/पति का नाम	आरक्षण एवं जाति वर्ग	पद	पदस्थापना कार्यालय का नाम
1	श्री ओमकार प्रसाद साहू	श्री गोवर्धन प्रसाद साहू	अनारक्षित(अ.पि.वर्ग)	भृत्य	आयुक्त भू अभिलेख इंद्रावती भवन नया रायपुर
2	श्री गजपति साहू	श्री मालिक राम साहू	अ.पि.वर्ग	भृत्य	आयुक्त भू अभिलेख इंद्रावती भवन नया रायपुर
3	श्री ताराचंद	श्री होलीराम	अ.पि.वर्ग	भृत्य	आयुक्त भू अभिलेख इंद्रावती भवन नया रायपुर
4	श्री नवीन कुमार साव	स्व.चन्दन राम साव	अनारक्षित(अ.पि.वर्ग)	भृत्य	आयुक्त भू अभिलेख इंद्रावती भवन नया रायपुर
5	श्रीमती नीलकुंवर	श्री सीताराम	अनारक्षित (अ.जा.)	भृत्य	उप आयुक्त भू अभि. बिलासपुर(पटवारी प्रशिक्षण शाला बिलासपुर में संलग्न।
6	श्री शिवकुमार	श्री रामायण प्रसाद	अ.जा.	चैनमेन	प्राचार्य रा.नि.प्र.शाला बिलासपुर
7	सुश्री राजकुमारी	श्री देवशंकर	अ.जा.	भृत्य	प्राचार्य रा.नि.प्र.शाला बिलासपुर
8	श्रीमती राजकुमारी	श्री दुर्गाप्रसाद	अ.पि.व.	भृत्य	उप आयुक्त भू अभिलेख रायपुर (पटवारी प्रशिक्षण शाला रायपुर में संलग्न)
9	श्रीमती हेमिन बाई बारले	श्री फिरंता बारले	अनारक्षित (अ.जा.)	भृत्य	प्राचार्य रा.नि.प्र.शाला बिलासपुर
10	श्री बुद्धसिंह पैकरा	श्री साधिन पैकरा	अ.ज.जा.	चैनमेन	प्राचार्य रा.नि.प्र.शाला बिलासपुर
11	श्री पुरूषोत्तम	श्री उत्तर सिंह	अ.ज.जा.	चैनमेन	प्राचार्य रा.नि.प्र.शाला बिलासपुर

<u>नियुक्ति की शर्ते निम्नानुसार हैः–</u>

1. यह नियुक्ति पूर्णतः प्राविधिक है। जांच के किसी भी प्रक्रिया में यदि पाया जाता है कि संबंधित नियुक्ति व्यक्ति उक्त पद हेतु पात्रता नही रखता है, अथवा गलत जानकारी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त किया गया है, तो कभी भी बिना कारण बताये नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
2. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा अस्थाई तथा अर्द्धस्थायी सेवा नियम–1960 के नियम–12 के अनुसार उम्मीदवार की सेवाऐं किसी भी समय किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की लिखित सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन व भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तो पर देय रकम संबंधित से भू–राजस्व बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी।
3. संबंधित कर्मचारी की सेवायें दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगी तथा इस मध्य कार्य संतोषजनक नही पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है, अथवा सेवा से पृथक करने पर विचार किया जा सकता है। सफलतापूर्वक सेवा पूर्ण करने पर नियमानुसार स्थायीकरण की कार्यवाही की जावेगी।
4. प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्ति में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया गया हैं।
5. संबंधित अभ्यार्थियों को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी शारीरिक क्षमता प्रमाण पत्र(स्वास्थ्य प्रमाण पत्र) सेवा में पदभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के अभाव में उपस्थिति मान्य नही किया जायेगा।
6. नियुक्ति स्थान पर पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का कोई भत्ता देय नही होगा।
7. पदस्थापना कार्यालय में आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति देवें, तत्समय आपको निम्नांकित दस्तावेजो की मूल प्रति एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित एक फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगाः–

(अ) शैक्षणिक योग्यता एवं आयु के साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण–पत्र अथवा अंक सूची।

(ब) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण–पत्र(विकलांग श्रेणी अंतर्गत आवेदित अभ्यार्थियों हेतु मात्र)

(स) छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने का प्रमाण–पत्र।

(द) रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण–पत्र।

(क) स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र की मूल प्रति एवं अन्य प्रमाण–पत्र।

(ख) वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी त्याग–पत्र की स्वीकृति एवं प्रभार मुक्ति पत्र(वर्तमान में सेवारत अभ्यार्थियों हेतु मात्र)

8. पुलिस अधीक्षक से प्राप्त अनुप्रमाणन(चरित्र सत्यापन) प्रमाण–पत्र में यदि आपराधिक गतिविधियां पाई जाती है तो सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। इस आशय का शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
   आरक्षित प्रवर्ग–(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी/प्रमाण–पत्र यदि गलत पाये गये तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किये जाने की कार्यवाही की जावेगी तथा संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही भी की जावेगी।
9. सेवा अवधि के दौरान किसी राजनैतिक दल की सदस्यता ग्रहण नही करेगें और न ही किसी राजनैतिक क्रिया–क्रलाप में भाग लेगें।
10. नवनियुक्त शासकीय सेवक हेतु शासन के आदेशानुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। यह नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक/591/2012, 592/2012,593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगे।

संचालक,
भू–अभिलेख
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

पृ.क्रमांक / 1980 / आ.भू.अ. / स्था–2 / 2016 नया रायपुर, दिनांक 23/5/.2016

प्रतिलिपिः–

1 निज सचिव, माननीय मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

2 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

3 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

4 उप आयुक्त भू अभिलेख रायपुर /बिलासपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। भृत्य / चैनमेन की उपस्थिति की जानकारी भिजवायें।

5 प्राचार्य, राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला बिलासपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु / भृत्य / चैनमेन की उपस्थिति की जानकारी भिजवायें।

6 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

7 पुलिस अधीक्षक जिला–––––––––––––––––––– की ओर सूचनार्थ।

8 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ––––––––––– छ.ग. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9 प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा कार्यालय आयुक्त भू–अभिलेख मुख्यालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

10 सिटी कोषालय अधिकारी नया रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11 लेखा शाखा मुख्यालय रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12 स्थापना शाखा–6 / गोपनीय शाखा / बजट / पदक्रम सूची शाखा मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

13 सर्व संबंधित श्री / श्रीमती / सुश्री...की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

23/5/16

संचालक
भू–अभिलेख
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

O/C